तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.2020	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2015 अनवान सुरेन्द्र बनाम भंवरलाल वगैरा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी स. 1 व 4 उपस्थित,शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित । अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी एवं अप्रार्थी स. 1 व 4 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी स. 1 व 4 के अधिवक्ता ने दिनाँक 25.07.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अति आवश्यक सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् बहस सुनकर निर्णित करने का निवेदन किया गया तथा उक्त अनवान बिना किसी विवाद के न्यायालय में लगाया है जिसमें हम भाईयों के कोई विवाद नही है। मौखिक बंटवारा अनुसार मौके पर कब्जा–काश्त वर्तमान में राजी–खुशी से चल रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा से हमारे खेतों की बाड़ाबंदी व कांटों के तारबंदी करना भी संभव नही है। प्रार्थी अधिवक्ता ने भी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाने जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की। प्रथम दृष्ट्या उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होना प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 खारिज किया जाता है व इस न्यायालय द्वारा दिनाँक 17.04.2015 को जारी मौजा गुड़ा विश्नोईयान के ख.न. 782/474 रकबा 39 बीघा में रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने का आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner